न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–118/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रंजीत सिंह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–838/सी0आर0 (विविध) दिनांक–30.05.2018 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड सं0–60/18 दिनांक 21.03.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन ट्रक रजि0 सं0–BR01GB-8195 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी कमल कमार सिंह को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जो वापस प्राप्त हुआ। न्यायहित में एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा उक्त थाना कांड़ सं0–60/18 दिनोंक 21.03.2018 में धारा 8/20सी0/25 NDPS एक्ट के अन्तर्गत उक्त ट्रक रजिस्ट्रेशन नं0–BR01GB-8195 को जब्त किया गया। जिसमें ट्रक के चालक के सीट के पीछे एक बड़ा बॉक्स में 900 किलोग्राम गाँजा बरामद हुआ। परन्तु वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 838/सी0आर0 (विविध) दिनांक–30.05.2018 से उक्त जब्त ट्रक को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58 के तहत अधिहरण हेतु प्रस्ताव भेजा गया हैं। इसका निराकरण इस न्यायालय में नहीं हो सकता है क्योंकि उक्त थाना कांड बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में दर्ज नहीं हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में अधिहरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मनीगाछी थाना कांड सं0–60/18 दिनांक 21.03.2018 में धारा 8/20सी0 /25 NDPS एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गयी हैं, जिसमें जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–BR01GB-8195 से 900 किलोग्राम गाँजा बरामद हुआ। जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 838/सी0आर0 (विविध) दिनांक–30.05.2018 से उक्त जब्त वाहन को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूँकि उक्त थाना कांड NDPS के अन्तर्गत दर्ज की गयी है, जिसका समाधान सक्षम न्यायालय से होना है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

D:\2020\Excise Order\Ranjeet Singh 118-2018 (NDPS).doc